राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 39/2017

1. घोटा देवी पत्नी श्री सोहनलाल उम्र 85 साल
2. बुधराम पुत्र श्री सोहनलाल उम्र 55 साल
3. रमेश पुत्र श्री सोहनलाल उम्र 47 साल
4. सतीश कुमार पुत्रश्री सोहनलाल उम्र 45साल
5. कमला पुत्रीश्री सोहनलाल उम्र 60 साल
6. गुलाब पुत्री श्री सोहनलाल उम्र 58 साल
7. मुनेश पुत्री श्री सोहनलाल उम्र 50 साल

जाति मेघवाल निवासी हीरवा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... वादीगण

– बनाम –

1. हनुमान उम्र 70 साल
2. भागीरथ उम्र 68 साल
3. रामेश्वर उम्र 60 साल (फौत)

पुत्रान ताराचन्द नवीरा श्योकल जाति मेघवाल निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

   3/1 औमपति पत्नी रामेश्वर
   3/2 मनेज पुत्र रामेश्वर
   3/3 अरूण पुत्र रामेश्वर
4. रामबाई पुत्री श्री ताराचन्द पत्नी श्री मदनलाल जाति मेघवाल निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. बनारसी पुत्री श्री ताराचन्द पत्नी श्री बजरंगलाल जाति मेघवाल निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू(राज.)
6. बुगली देवी पुत्री श्री ताराचन्द पत्नी श्री रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बुड़ाना तह. व जिला झुन्झुनू(राज.)
7. गिन्नो देवी पत्नी श्री महावीर
8. पवन – पुत्रान महावीर
9. अजय – पुत्रान महावीर

नवीरा ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी हीरवा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

10. सुनीता पुत्री श्री महावीर पत्नी बजरंग लाल जाति मेघवाल निवासी अमरसिंहपुरा तन् बिजोली तहसील सुरजगढ़जिला झुन्झुनू(राज.) (राज.)
11. मनोहरलाल (फौत)
    11/1 प्रवीण पुत्र मनोहरलाल
    11/2 संजय पुत्र मनोहरलाल
    11/3 पिंकी पुत्री मनोहरलाल
12. वेदप्रकाश
13. राकेश

पुत्रान [illegible] निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला [illegible](राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

राजस्व वाद संख्याः–39 / 2017
धोटा देवी आदि बनाम हनुमान आदि
निर्णय दिनांकः– 06-01-22

14. विमला पुत्री श्री रामुराम पत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी सीनियर सैकण्डरी स्कूल सिघाना के पीछे सिघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
15. औमबाई पुत्री श्री रामूराम पत्नी श्री औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी प्रतापपुरा तह. व जिला झुन्झुनू(राज.)
16. सविता पुत्री श्री रामुराम पत्नी श्री सज्जन सिंह जाति मेघवाल निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू(राज.)
17. सुशीला पुत्री श्री रामुराम पत्नी श्री ईश्वर सिंह जाति मेघवाल निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)
18. शीशराम पुत्र श्री मातादीन जाति मेघवाल निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
19. कृष्णा कंवर पत्नी श्री अमर सिंह
20. शक्ति सिंह पुत्र श्री अमर सिंह नवीरा गंगासिंह } जाति राजपूत निवासी बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू(राज.)
21. विजयपाल सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू(राज.)
22. नारायण सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
23. महावीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह नवीरा सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) (फौत)
    23 / 1 सुमित्रा कवंर पुत्र महावीर
    23 / 2 मितल कवंर पुत्र महावीर पत्नी नकूल सिंह निवासी कुसुमदेंशर तहसील रतनगढ जिला चुरू।
    23 / 3 शिवाली कवंर पुत्री महावीरसिंह
    23 / 4 प्रवेश सिंह पुत्र महावीरसिंह
24. घनश्याम सिंह
25. राजपाल सिंह } पुत्रान मोहबत सिंह नवीरा सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
26. राजवीर सिंह
27. परवत सिंह
28. विरेन्द्र सिंह } पुत्रान नन्दसिंह नवीरा सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
29. मोहन कवंर पत्नी श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह जाति राजपूत हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
30. सुरेन्द्र सिंह
31. विरेन्द्र सिह } पुत्रान गणपत सिंह नवीरा सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी हीरवातहसील बुहाना [illegible]
32. मंगेज कवंर पत्नी श्री मदन सिंह
33. कमलेश कवंर पत्नी श्री [illegible] राजपूत निवासी हीरवा
34. सरजीत पुत्र श्री मातुसिंह नवीरा पदम सिंह [illegible] बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
35. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:50:21 IST
Reason: SelfAttested

36. बजरंग सिंह
37. महेन्द्र सिंह
38. गोपाल सिंह
39. देवी सिंह
40. नगेन्द्र सिंह

पुत्रान कालुसिंह जाति राजपूत निवासी हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

41. मदा कवंर पुत्री श्री कालूसिंह पत्नी श्री विनोद सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राज.)
42. गुलाब कवंर पुत्र श्री कालूसिंह पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राज.)
43. उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
44. तहसीलदार भू– अभिलेख एवं लैण्ड होल्डर बुहाना

.... प्रतिवादीगण

दावा –दावा घोषणात्मक , स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन , रिकॉर्ड दुरूस्ति

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06-01-22

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं।

1. यह कि वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना जिला झुंन्झुनू(राज.) में भूमि गत ख.न. 316 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा स्थित हैं। यह भूमि ढिकाना के समय बदनगढ़ के राजपूत गंगासिंह पुत्र श्री भवानी सिंह खातेदारो के हिस्से मे आठ आना अर्थात् 1/2 हिस्सा थी तथा चन्द्र सिंह की दो आना अर्थात् 1/8 हिस्सा तथा हरिसिंह 2 आना अर्थात् 1/8 हिस्सा मंगल सिंह , सुजानसिंह उर्फ सुलतान सिंह 2 आना अर्थात् 1/8 हिस्सा सुगनसिंह , गाढसिंह 2 आना अर्थात् 1/8 हिस्सा के खातेदारी में थी। सवत् 1996 – 97 में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 18 के हकपूर्वाधिकारी श्योकल जिसको रिकॉर्ड के श्योकलिया उर्फ श्योकरण वल्द दल्ला उर्फ दलिया दर्ज किया हैं उसने बदनगढ के ठिकानेदारो गंगासिंह पुत्र श्री भवानीसिंह से उनका 1/2 हिस्सा अर्थात् आठ आना भाग लगान के करार पर कास्त पर लिया था एंव काबिज था सवत् 1999 की मिसल हकियत मे बर्तोर उप कृषक के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। इस प्रकार वादीगण का हकपूर्वाधिकारी श्योकल इस गत ख.न. 316 की भूमि के 1/2 भाग का उप कृषक था।
2. यह कि सन् 1955 में अर्थात 2012 में जब राज. कास्तकारी अधिनियम लागू हुआ तो धारा 19 मे यह प्रावधान बनाया गया हैं कि जो व्यक्ति लगान के करार पर भूमि कास्त करता हैं खातेदार को लगान का भुगतान करता हैं वह उस भूमि का स्वतः ही खातेदार बन गया हैं एवं वह भूमि उसकी खातेदारी की हैं यदि किसी का नाम दर्ज नही हुआ था [illegible] ने बाद मे लगान के करार पर भूमि कास्त पर ली हैं। [illegible] के अनुसार उप खण्ड अधिकारी को आवेदन कर अपना नाम खातेदारी मे दर्ज करवा सकता हैं। क्योकि वादीगण का हक पूर्वाधिकारी श्योकल जिसको श्योकरण भी कहते थें सवत् 1998

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:50:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

से भी पहले इस भूमि पर लगान के करार पर कास्त करता था इसलिए वह स्वतः इस भूमि का खातेदार बन गया था लेकिन उसका नाम राजस्व कर्मचारीयो ने खातेदारी मे दर्ज नही किया एवं वह स्वयं अनपढ था तथा कमजोर वर्ग का अनुसुचित जाति का व्यक्ति था स्वयं को ज्ञान नही था इसलिए वादीगण का हकपूर्वाधिकारी श्योकल का नाम इस भूमि की खातेदारी मे दर्ज नही हुआ एवं राजपूत खातेदारो के नाम नही दर्ज रहा बाद में दिनांक 07.3.1973 में श्योकल की मृत्यु हो चुकी हैं।एवं इस भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हुई बल्कि मौके पर वादीगण व इनके हकपूर्वाधिकारी काबिज थें एवं वे स्वतः ही खातेदार बन गये थें इस प्रकार वादीगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व कर्मचारीयो की गलती से खातेदारी मे नाम दर्ज नही हुआ हैं।

3. यह कि वादीगण की वंशावली अलग से अनेक्सचर "ए" के रूप मे पेश हैं। इस प्रकार श्योकल का वाद वर्णित भूमि गत ख.न. 316 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में 1/2 हिस्सा अर्थात् आठ आना हिस्सा था श्योकल के चार पुत्र थें जिनमे वादीगण का हकपूर्वाधिकारी सोहनलाल था सोहनलाल का श्योकल के 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा था अर्थात् सम्पूर्ण रकबा मे 1/8 हिस्सा था जिस पर सोहनलाल काबिज था सोहनलाल की मृत्यु हो चुकी हैं। उसके स्थान पर वादीगण काबिज हैं। तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 10 ताराचन्द पुत्र श्री श्योकल के वारीसान का 1/8 प्रतिवादी स. 11 लगायत 17 जो रामूराम पुत्र श्री श्योकल के वारीसान हैं का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी स. 18 का 1/8 हिस्सा हैं जो मातादीन उर्फ मातुराम का वारीस हैं वादीगण अपने 1/8 हिस्सा पर शान्तिपूर्वक काबिज हैं एवं मकान भी बना रखे हैं।

4. यह कि वादीगण का हकपूर्वाधिकारी सवत् 2012 व उसके बाद की जमाबन्दी में भी उप कृषक दर्ज था तथा खसरा गिरदावरी में उसका कब्जा कास्त दर्ज था लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 18 के हक पूर्वाधिकारी का नाम बर्तोर खातेदार इस भूमि में दर्ज नही किया जबकि वह खातेदार बन चुका था एवं उसका नाम दर्ज होना चाहिये था।

5. यह कि हाल बन्दोबस्त ने गत ख.न. 316 के हाल ख.न. 617 रकबा 0.04 हैक्टर ख.न. 620 रकबा 2.41 हैक्टर ख.न. 914 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर कायम किये हैं। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने भी इस भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज नही किया बल्कि गंगासिंह जिसके वादीगण का हकपूर्वाधिकारी कास्तकार / उपकृषक था उसका हिस्सा 98 दर्ज कर दिया प्रतिवादी स. 19 लगायत 21 उक्त गंगासिंह के वारीसान हैं । तथा शेष 97 हिस्सा सुगन सिंह पुत्र श्री गाड़सिह 1/2 हिस्सा दर्ज किया उक्त सुगनसिंह के वारीसान प्रतिवादी स. 22 लगायत 31 हैं। तथा बहादुरसिंह , पदम सिंह , कालुसिंह पुत्रान सुगन सिंह 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया जिसमे बहादुर नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका हैं। तथा प्रतिवादी स. 32 लगायत 34 पदमसिंह के वारीसान हैं क्योकि पदमसिह की भी मृत्यु हो चुकी हैं। तथा कालुसिंह की भी मृत्यु हो चुकी हैं। प्रतिवादी स. 35 लगायत 42 उक्त कालुसिंह के उतराधिकारी हैं।

6. यह कि हाल ख.न. 617, 620, 914 किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर में 98 हिस्सा में वादीगण का 1/4 हिस्सा हैं। प्रतिवादी स. 1 लगायत 10 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स. 11 लगायत 17 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स. 18 का 1/4 हिस्सा हैं। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के सभी की जानकारी पर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

खुल्ले रूप से बर्तोर खातेदार काबिज हैं। इसलिए अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

7. यह कि वादीगण वाद वर्णित भूमि के 98 हिस्सा की भूमि के 1/4 हिस्सा पर काबिज हैं। लेकिन प्रतिवादी स. 19 लगायत 21 के नाम से इस भूमि की खातेदारी दर्ज हैं प्रतिवादी स. 19 लगायत 21 इस भूमि के खातेदार नही हैं उनका केवल नाम दर्ज हैं उन्हे यह भूमि रहन , बेचान , गिरवी , या हस्तानान्तरित करने का कोई अधिकार नही हैं। ना ही उन्हे इस भूमि मे खड़े पेड़ो को काटने या इसकी स्थिति परिवर्तित करने का कोई हक अधिकार नही हैं तथा वादीगण इसके खातेदार बन चुके हैं। केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नही हैं। यदि प्रतिवादी स. 19 लगायत 42 या इनमे से कोई इस भूमि को रहन , बेचान , गिरवी , हस्तानान्तरित करता हैं अथवा इसमे किसी प्रकार का परिवर्तन करता हैं एवं वादीगण का नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज नही होता हैं तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

8. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि के वादीगण का हकपूर्वाधिकारी श्योकल 1/2 हिस्सा का सवत् 1998 से भी पहले से लगान के करार पर कास्ताकर होने एवं कास्तकारी अधिनियम 1955 अर्थात् सवत् 2012 मे लागू होने के समय भी कास्तकार होने व कानूनी प्रावधानो के अनुसार उसी समय इस भूमि का खातेदार बन जाने व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बर्तोर खातेदार दर्ज नही करने व इसको हस्तानान्तरित , दान , रहन, गिरवी या अन्य हस्तानान्तरण की धमकी देने से पैदा हुआ हैं वैसे भी ऐसे दावो के लिए कानून मे कोई मियाद निर्धारित नही हैं।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना मे स्थित होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

10. यह कि प्रतिवादी स. 1 लगायत 18 आवश्यक पक्षकार होने तथा प्रतिवादी स. 43 व 44 भी आवश्यक पक्षकार होने तथा प्रतिवादी स. 19 लगायत 21 के नाम वादीगण का हिस्सा दर्ज होने तथा प्रतिवादी स. 19 लगायत 42 के नाम वर्तमान में यह भूमि दर्ज होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं।

11. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/—रू. , स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/—रू. एवं खाता विभाजन के लिए 1/—रू. रिकॉर्ड दुरूस्ति के लिए 1/—रू. अर्थात् दावा कुल 4 /—रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।

12. यह कि प्रतिवादी स. 43 लोक सेवक हैं जिनके खिलाफ दवा 2 माह का नोटिस देकर ही पेश किया जा सकता हैं। लेकिन यदि नोटिस देकर दावा पेश किया जाता हैं तो वादीगण का दावा का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा इसलिए न्यायालय श्रीमानजी की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा हैं।

13. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं। एवं वाद पत्र द्वितिय प्रति में हैं तथा वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र भी पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :—

(क). कि वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 617 रकबा 0.04 हैक्ट ख.न. 620 रकबा 2.41 हैक्टर ख.न. 914 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर मे 98 हिस्सा में गंगासिंह बदनगढ जो प्रतिवादी स. 19 लगायत 21 का हकपूर्वाधिकारी हैं। उसके स्थान पर 1/4 हिस्सा का खातेदार वादीगण को [illegible] हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी स. 1 लगायत 10 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स. 11 [illegible] को 1/4 एवं प्रतिवादी स. 18 को 1/4 हिस्सा का खातेदार [illegible] रिकॉर्ड दुरू[illegible] जाने कि कृपा करे। तथा गंगासिंह बदनगढ़ का नाम इस [illegible] जाने कि कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

(ख). कि प्रतिवादीगण स. 19 लगायत 42 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वाके ग्राम हीरवा स्थित भूमि ख.न. 617 रकबा 0.04 हैक्ट ख.न. 620 रकबा 2.41 हैक्टर ख.न. 914 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर के किसी भाग को रहन , बेचान , गिरवी , हस्तानान्तरण नही करें ऐसा कृत्य ना स्वंय करे ना किसी अन्य कसे करवायें। एवं प्रतिवादी स. 43 को भी जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी स. 19 लगायत 42 द्वारा प्रस्तुत किसी भी दान , रहन , बेचान , गिरवी, हस्तानान्तरण विलेख को पंजिकृत ना करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करें ना अपने मातहत किसी अधिकारी या कर्मचारी से करवायें।

(ग). कि वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 617 , 620, 914 किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर मे वादीगण के 98 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा का खाता विभाजित किये जाने कि कृपाकरें। एवं लगान अलग से कायम कर राजस्व पर स्वतन्त्र रूप से कब्जा करवाये जाने कि कृपा करें।

(घ). कि वादीगण के दावा विरूद प्रतिवादी डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल ट्रेस प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं. 2070–73 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं. 2054–57 प्रदर्श– 3, नकल जमाबंदी सं. 2050–53 प्रदर्श– 4, नकल जमाबंदी सं. 2046–49 प्रदर्श– 5, नकल जमाबंदी सं.20 प्रदर्श– 6, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 7, नकल जमाबंदी सं. 2032–35 प्रदर्श– 8, नकल जमाबंदी सं. 2032–35 प्रदर्श– 9, नकल जमाबंदी सं. 2028–31 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सं. 2020–23 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सं. 2016–19 प्रदर्श– 12, नकल जमाबंदी सं. 2016–19 प्रदर्श– 13, नकल मिसल हैकियत प्रदर्श–14, नकल मिसल हैकियत प्रदर्श– 15, नकल मिसल हैकियत सं. 1999 प्रदर्श– 16, नकल गिरदावरी सं. 2025–28 प्रदर्श– 17, नकल गिरदावरी सं. 2021–24 प्रदर्श– 18, नकल गिरदावरी सं. 2017–20 प्रदर्श– 19, नकल गिरदावरी सं. 2013–16 प्रदर्श– 20, फोटो प्रति रसीद लगान प्रदर्श– 21ए, 22ए, 23ए, 24ए, 25ए, 26ए पेश किये गये। साक्ष्य वादी में पीडब्लू –1 रमेश कुमार पुत्र सोहनलाल, पीडब्लू –2 सतीश कुमार पुत्र सोहनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि (1) वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) में भूमि गत ख.न. 316 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा स्थित हैं। यह भूमि ढिकाना के समय बदनगढ़ के राजपूत गंगासिंह पुत्र श्री भवानी सिंह खातेदारो के हिस्से मे आठ आना अर्थात् 1/2 हिस्सा थी तथा चन्द्र सिंह की दो आना अर्थात् 1/8 हिस्सा तथा हरिसिंह 2 आना अर्थात् 1/8 हिस्सा मंगल सिंह , सुजानसिंह उर्फ सुलतान सिंह 2 आना अर्थात् 1/8 हिस्सा सुगनसिंह , गाढसिंह 2 आना अर्थात् 1/8 हिस्सा के खातेदारी में थी। (2). सवत् 1996 – 97 में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 18 के हकपूर्वाधिकारी श्योकल उर्फ श्योकलिया उर्फ श्योकरण वल्द दल्ला उर्फ दलिया दर्ज किया हैं उसने बदनगढ के ठिकानेदारो गंगासिंह पुत्र श्री भवानीसिंह से उनका 1/2 हिस्सा अर्थात् आठ आना भाग लगान के करार पर कास्त पर लिया था एवं काबिज ... 1999 की मिसल हकियत मे बर्तोर उप कृषक के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। इस प्रकार वादी... का हकपूर्वाधिकारी श्योकल इस गत ख. न. 316 की भूमि के 1/2 भाग का उप कृषक ... हकपूर्वाधिकारी सवत् 2012 व उसके बाद की जमाबन्दी में भी उप कृषक दर्ज ... खसरा गिरदावरी में उसका कब्जा कास्त दर्ज है। (3) हाल बन्दोबस्त में गत ख.न. 316 के हाल ख.न. 617 रकबा 0.04 हैक्टर ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:50:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

620 रकबा 2.41 हैक्टर ख.न. 914 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर कायम किये हैं। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने भी इस भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज नही किया बल्कि गंगासिंह जिसके वादीगण का हकपूर्वाधिकारी कास्तकार / उपकृषक था उसका हिस्सा 98 दर्ज कर दिया प्रतिवादी स. 19 लगायत 21 उक्त गंगासिंह के वारीसान हैं । तथा शेष 97 हिस्सा सुगन सिंह पुत्र श्री गाड़सिह 1/2 हिस्सा दर्ज किया उक्त सुगनसिंह के वारीसान प्रतिवादी स. 22 लगायत 31 हैं। तथा बहादुरसिंह , पदम सिंह , कालुसिंह पुत्रान सुगन सिंह 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। **(4)** सन् 1955 में अर्थात 2012 में जब राज. कास्तकारी अधिनियम लागू हुआ तो धारा 19 मे यह प्रावधान बनाया गया हैं कि जो व्यक्ति लगान के करार पर भूमि कास्त करता हैं खातेदार को लगान का भुगतान करता हैं वह उस भूमि का स्वतः ही खातेदार बन गया हैं एवं वह भूमि उसकी खातेदारी की हैं यदि किसी का नाम दर्ज नही हुआ था या किसी ने बाद मे लगान के करार पर भूमि कास्त पर ली हैं तो भी वह उसी धारा के प्रावधानो के अनुसार अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा सकता हैं। क्योकि वादीगण का हक पूर्वाधिकारी श्योकल जिसको श्योकरण भी कहते थें सवत् 1998 से भी पहले इस भूमि पर लगान के करार पर कास्त करता था इसलिए वह स्वतः इस भूमि का खातेदार बन गया था। वादीगण ने अपनी 1/4 हिस्सा का खाता विभाजन का अनुतोष को विड्रा किया है। अतः न्यायालय मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–: आदेश :–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित हाल खसरा नम्बर भूमि ख.न. 617 रकबा 0.04 हैक्ट ख.न. 620 रकबा 2.41 हैक्टर ख.न. 914 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर मे गंगासिंह बदनगढ हिस्सा 98 अर्थात रकबा 1.28 है. में से इनका नाम हजफ किया जाता है और उसके स्थान पर वादीगण को हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 को हिस्सा 6/28 , प्रतिवादी सं. 7 लगायत 10 का हिस्सा 1/28, प्रतिवादी स. 11 लगायत 17 को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी स. 18 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 06-01-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 39/2017
निर्णय दिनांक : 06-01-22

घोटा देवी आदि बनाम हनुमान आदि

दावा –दावा घोषणात्मक , स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन , रिकॉर्ड दुरूस्ति

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव** की उपस्थिती में एवं प्रतिवादी गण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-01-22 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम हीरवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित हाल खसरा नम्बर भूमि ख.न. 617 रकबा 0.04 हैक्ट ख.न. 620 रकबा 2.41 हैक्टर ख.न. 914 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 रकबा 2.56 हैक्टर मे गंगासिंह बदनगढ हिस्सा 98 अर्थात रकबा 1.28 है. में से इनका नाम हजफ किया जाता है और उसके स्थान पर वादीगण को हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 को हिस्सा 6/28 , प्रतिवादी सं. 7 लगायत 10 का हिस्सा 1/28, प्रतिवादी स. 11 लगायत 17 को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी स. 18 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06-01-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:50:21 IST
Reason: SelfAttested